UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY

Teenpani Bypass, Behind Transport Nagar, Haldwani (Nainital) UTTARAKHAND- 263139
Phone No. :05946-286000 Website : www.uou.ac.in

Office of the Registrar

No. UOU/Estt/2021/56/ 223 Dated: 11-02-2021

Dr. Akhilesh Kumar Navin
Professor Colony
Kumaon University, SSJ Campus,
Almora (Uttarakhand) 263601
e-mail- aknavin@gmail.com

विषयः आचार्य, विधि (अनु0जाति) पद पर नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

आपको विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित आचार्य (विधि) (वेतनमान रू0 144200–218200 एकेडमिक लेवल–14) हेतु सम्पन्न साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर कार्यपरिषद की 29वीं बैठक मद संख्या–.29.18 दिनांक 11.02.2021 में प्रदत्त अनुमोदन एवं मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 11.02.2021 के क्रम में आचार्य (विधि) पद पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ नियुक्ति प्रदान की जाती है–

1. आपकी नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या– (S/B) No. 511 of 2019 में पारित निर्णय के अधीन होगी।
2. आपकी नियुक्ति नितान्त अस्थाई है, जो कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन होगी, जिसे परिनियम 27(2) के अन्तर्गत कार्यपरिषद द्वारा एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढाया भी जा सकता है।
3.. विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश तथा समय–समय पर लागू होने वाले नियम आपकी सेवा पर भी प्रभावी होंगे।
4. आपकी सेवाएं विश्वविद्यालय के हित में विश्वविद्यालय के परिसर, क्षेत्रीय कार्यालय एवं अन्य स्थान, जहां विश्वविद्यालय उचित समझे, के लिए स्थानान्तरणीय होंगी।
5. आपके चरित्र, शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर आपकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
6. आपकी सेवा एक माह के नोटिस अथवा आपको एक माह का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यही शर्त आपके द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर भी लागू होगी।
7. कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय आपके द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

8. कार्यभार ग्रहण करते समय आपको नोटरी द्वारा सत्यापित रू0 100/– के गैर–न्यायिक (Non-Judicial) स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप के अनुसार हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का नोटरी शपथ–पत्र रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि आपके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला न तो पंजीकृत है और न ही किसी न्यायालय के विचाराधीन है।

10. विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए लागू आचार–संहिता व परिनियमों में वर्णित व्यवस्था आप पर लागू होगी तथा इसका पालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस पद हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमन्य वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

12. यह नियुक्ति नवीन पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित होगी।

13. कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय आपको सत्यापन हेतु समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति, आधार एवं पैन कार्ड की मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र/दस्तावेज तथा दी गयी जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी।

15. आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवसों के भीतर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाना होगा अन्यथा की दशा में यह नियुक्ति पत्र निष्प्रभावी माना जायेगा।

16. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

संलग्नकः **अनुबंध का प्रारूप**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, संबंधित विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
3. वित्त–नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव

परिशिष्ट 'क'

(परिनियम 27 का खण्ड (6) और (8) देखिये)

विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक ....को श्री ....पुत्र................ ....पता..प्रथम पक्ष तथा कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (जिसे आगे 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया, एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :–

1. विश्वविद्यालय एतद्द्वारा डॉ0/श्री/श्रीमती/कुमारी..को दिनांक....................................से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का सहायक प्राध्यापक नियुक्त करता है, और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिसकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण और छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्या, या नैवासिक कार्य कलाप के सम्बन्ध में छात्र–कल्याण को प्रोत्साहन और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्येत्तर कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जाये, तथा ऐसे अधिकारियों की स्वयं को प्रस्तुत करता है जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–समय यथा अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरुप कार्य करेगा परन्तु अध्यापक, प्रथम एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और कार्यपरिषद स्व–विवेकानुसार परिवीक्षावधि बढ़ा सकती है।
2. प्रथम पक्ष का पक्षकार, विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।
3. अध्यापक के पद का, जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान .... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार का उस दिनांक से जबसे वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान में...रु0 प्रतिमास की दर से वेतन

दिया जायेगा और वह जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती अवस्थाओं पर वेतन प्राप्त करेगा।

4. प्रथम पक्ष का पक्षकार, जब यह करार प्रवृत हो, विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसके प्राधिकार के अधीन वह, उक्त अधिनियम के प्राविधानों या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।
5. प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–समय पर यथा अध्यापकों की आचार संहिता का पालन करने और उसके अनुरुप चलने का वचन देता है।
6. किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र (एपरेटस), अभिलेख और अन्य वस्तुऐं, जो उसके अधिकार में हो, विश्वविद्यालय को वापस दे देगा।
7. समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रतिकृति हों और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

उपरोक्त के साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मोहर लगाई।

....

अध्यापक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व करने वाले
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षीः

1.

2.